

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 471]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 26 नवम्बर 2016—अग्रहायण 5, शक 1938

खनिज साधन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 नवम्बर 2016

क्र. एफ-19-5-2015-बारह-1.—खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 9बी की उपधारा (1), (2) एवं (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश जिला खनिज प्रतिष्ठान नियम, 2016 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 2 में, उपनियम (1) में, खण्ड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—
“(ग) ‘प्रतिष्ठान’ से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 9-ख तथा इन नियमों के अधीन गठित किसी जिले का जिला खनिज प्रतिष्ठान;”
2. नियम 3 में, उपनियम (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:—
“(3) यह प्रतिष्ठान एक अलाभकारी निकाय होगा तथा इसका गठन अधिसूचना के माध्यम से शासन द्वारा किया जाएगा;”

No. F-19-5-2015-XII-1.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1), (2) and (3) of Section 9B of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (Act 67 of 1957), the State Government, hereby, makes the following amendments in the Madhya Pradesh District Mineral Foundation Rules, 2016, namely:—

AMENDMENT

In said Rules,—

1. in rule 2, in sub-rule (1), for clause (c), the following clause shall be substituted, namely:—
 - “(c) ‘Foundation’ means District Mineral Foundation of any district constituted under section 9B of the Act and under these rules;”
2. in rule 3, for sub-rule (3), the following sub rule shall be substituted, namely:—
 - “(3) The foundation shall be a non-profitable body and constituted by notification by Government;”

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तरुण राठी, उपसचिव.